

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
सं०-सं०वि०क०नि०-1-1515/11-2019-113/19
लखनऊ:दिनांक: 09 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

लोक सेवा आयोग, उ०प्र० द्वारा वर्ष 2016 की सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) हेतु चयनित एवं उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) के पद हेतु संस्तुत श्री पुष्पेन्द्र पटेल, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर पंजीयन प्रकोष्ठ सम्भाग-ए वाराणसी द्वारा दिनांक 09.09.2016 को श्री अजय कुमार, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-1 सम्भल द्वारा दिनांक 03.12.2015 को तथा श्री नवीन चन्द्र, डिप्टी कमिश्नर (क०व०/क०नि०) वाणिज्य कर लखनऊ द्वारा दिनांक 11.06.2013 को वाणिज्य कर विभाग में असिस्टेन्ट कमिश्नर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। श्री नवीन चन्द्र का वाणिज्य कर विभाग के असिस्टेन्ट कमिश्नर के पद पर स्थायीकरण शासन के आदेश सं०-सं०वि०क०नि०-1-968/11-2018-25/2003 दिनांक 18.07.2018 द्वारा किया गया।

2- सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2016 के परिणाम के आधार पर श्री पुष्पेन्द्र पटेल, असिस्टेन्ट कमिश्नर, श्री अजय कुमार, असिस्टेन्ट कमिश्नर तथा श्री नवीन चन्द्र, डिप्टी कमिश्नर का चयन उपजिलाधिकारी के पद पर होने के कारण नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-1261/दो-3-2019-19/3(44)/2019, दिनांक 20.08.2019 द्वारा श्री पुष्पेन्द्र पटेल, श्री अजय कुमार तथा श्री नवीन चन्द्र को उप जिलाधिकारी (परिवीक्षाधीन) के पद पर क्रमशः जनपद-वाराणसी, जनपद-बागपत व जनपद-कानपुर देहात में तैनात किया गया है। उक्त तीनों अधिकारियों द्वारा उक्त पद पर जनपद-वाराणसी/बागपत/कानपुर देहात में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः उक्त वर्णित स्थिति एवं कमिश्नर वाणिज्य कर उ०प्र० द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव के दृष्टिगत श्री पुष्पेन्द्र पटेल, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य, श्री अजय कुमार, तथा श्री नवीन चन्द्र को उप जिलाधिकारी (परिवीक्षाधीन) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु श्री राज्यपाल उक्त तीनों

अधिकारियों को वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर के पद से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 के अनुसार कार्यमुक्त किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	कार्यमुक्त किया जाना है
1	2	3
1	श्री नवीन चन्द्र, डिप्टी कमिश्नर (क०व०/क०नि०) वाणिज्य कर लखनऊ	लियन (धारणाधिकार) सहित
2	श्री अजय कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-1, सम्भल	बिना लियन (धारणाधिकार) के
3	श्री पुष्पेन्द्र पटेल, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर पंजीयन प्रकोष्ठ सम्भाग-ए वाराणसी	बिना लियन (धारणाधिकार) के


श्री राज्यपाल की ओर से,

राजेश कुमार त्यागी
विशेष सचिव

संख्या:-सं०वि०क०नि०-1-1515(1)/11-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य-कर, उ०प्र०, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 19.09.2019 एवं 27.09.2019 के संदर्भ में।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी, वाराणसी/बागपत/ कानपुर देहात।
5. कार्मिक अनुभाग-4/नियुक्ति अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
6. संबंधित अधिकारीगण द्वारा-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव

1. संयुक्त सचिव, नियुक्ति अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या-1261/दो/3-2019/3 (44)/2019 दिनांक 28 अगस्त 2019 के क्रम में सूचनार्थ ।
2. संयुक्त सचिव कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ
3. संयुक्त सचिव, कर एवं निबंधन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, को उनके पत्र को उनके पत्र संख्या सोवि0क0नि0-1-1515/11-2019-113/19 दिनांक 09 अक्टूबर 2019 के क्रम में सूचनार्थ ।
4. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. जिलाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ / वाराणसी / सम्भल उत्तर प्रदेश ।
6. सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल अपने स्तर से अवमुक्त करते हुए सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
7. महालेखाकार उ0 प्र0 प्रयागराज उ0 प्रदेश ।
8. सचिव लोक सेवा आयोग उ0 प्रदेश प्रयागराज ।
9. सम्बन्धित एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/उ0न्या0कार्य0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
10. सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/टैक्स आडिट/नियंत्रक अधिकारी वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त अधिकारियों को अपने स्तर से अवमुक्त करते हुए सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
11. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
12. सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर(प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों से विभागीय सिम कार्ड प्राप्त करना सुनिश्चित करें ।
13. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्यकर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
14. कम्प्यूटर आपरेटर, (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि विभागीय वेबसाईट/EIS SYSTEM पर उक्त आदेश प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।
15. सम्बन्धित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने नियंत्रक अधिकारी से अवमुक्त होकर अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें ।

(R)

(अंजनी कुमार अग्रवाल)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।